

अधिकासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1
लो० नि० वि० वाराणसी

पत्रांक 577 / 2019-20 / वाराणसी

दिनांक 8-08-2019
07.08.2019

सेवा में,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल,
वाराणसी।

विषय :- नेशनल बिल्डिंग कोड सम्बन्धी प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
संदर्भ :- आपका पत्रांक-एन0ओ0सी0 / 13651-24 / 2019-20 दिनांक 01.05.2019

महोदय,

संदर्भित पत्र के अनुक्रम में विषयगत विद्यालय भवन का निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षणोपरान्त सुरक्षा मानको से सम्बन्धित नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 से सम्बन्धित चेकलिस्ट क्रमांक-01 से 22 तक पर अंकित बिन्दुओं पर आख्य अंकित कर चेकलिस्ट संलग्न है।

भवदीय

(संजीव कुमार)
अधिकासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो० नि० वि०,
वाराणसी।

संलग्नक-चेकलिस्ट

पत्रांक

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

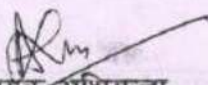
1. आयुक्त वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
2. जिलाधिकारी, वाराणसी।
- ✓ 3. प्रबन्धक / प्रधानाचार्य एम0पी0 मेमोरियल स्कूल एण्ड हॉस्टल, कन्दवा, चितईपुर, वाराणसी।
4. सहायक अभियन्ता (प्रथम), निर्माण खण्ड-1, लो० नि० वि०, वाराणसी।

(संजीव कुमार)
अधिकासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो० नि० वि०,
वाराणसी।

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट
सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 विद्यालय (कक्षा-6 से 12) हेतु चेकलिस्ट

क्र. सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हां
2.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हां
3.	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊंचा है?	नहीं
4.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000वर्गमी0) है?	हां
5.	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी0 खुला स्थान है?	हां
6.	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैक में पार्किंग तो नहीं है?	नहीं
7.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हां
8.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12मी0 है?	हां
9.	क्या भवन की छत R.C.C की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग नहीं लाई गया?	नहीं
10.	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी हैं?	हां
11.	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक हैं?	नहीं
12.	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी0. (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी0) है?	हां
13.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी0 एवं ऊँचाई 4.5 मी0 है?	हां
14.	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	नहीं
15.	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हां
16.	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0मी ऊँचाई 2.0 मी0) है?	हां
17.	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हां
18.	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी0, ट्रेड 300 मिमी0 तथा राइजर 150 मिमी0 है?	हां

19.	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	हां
20.	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हां
21.	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हां
22.	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित हैं?	हां


 सहायक अभियन्ता
 निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०
 वाराणसी